

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 75/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री चढत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

ब न अ म

....वादी

1. चढत सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल विलेज रिओंदकला जिला मानसा (पंजाब)।
2. परमजीत कौर पुत्री श्री चढत सिंह पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह जाति जसिख निवासी उड़त सैयदेवाला तहसील बुडलाडा जिला मानसा ।
3. वीरपाल कौर पुत्री श्री चढत सिंह पत्नी श्री बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी इसका जिला संगरूर ।
4. सिमरजीत कौर पुत्री श्री चढत सिंह पत्नी श्री मनजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कोट धरमू जिला मानसा ।
5. गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री चढत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल विलेज रिओंदकला जिला मानसा (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित-अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा
अधिवक्ता महेश दादरवाल
पैरोकार राज

वादी
प्रतिवादी 1 ता 5
(प्रति.-6)

--: निर्णय :-

दिनांक 28.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी वाद के शीर्षक में वर्णित पता का स्थाई निवासी है तथा वादी का पेशा खेती है तथा वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जा रहा है तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 वादी की बहिनें तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादी की माता हैं। वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 7 जैड पटवार हल्का 9 जैड भू अ नि, हल्का रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 28/56 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072-2075) का मुख्या नम्बर 33, 35 व 50 की कुल 3.009 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से प्राप्तशुदा पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त भूमि में



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज)

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक वा हिस्सा बनता है। प्रतिवादी ने अपनी खेती या सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घर मीथिक बंटवारा किया हुआ है तथा घर मीथिक बंटवारा के अनुसार वादी को चक 7 जैड पटवार हल्का 9 जैड भू अ.नि. हल्का रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 28/56 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075) का मुख्या नम्बर 33, 35 व 50 की कुल 3.009 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि घर बंटवारा में दी हुई है। उक्त घर बंटवारा नाम अनुसार वादी अपने हिस्सा में कोई कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काशत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की कृषि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने अपने हिस्सा का परित्याग वादी के नाम में करने का कहा हुआ है। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढ़ा लिखा व अपनी काशतकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादी के हिस्सा की कृषि भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.04.2025 को प्रतिवादीगण ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 5 लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

- (1) यह कि घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर वाके चक 7 जैड पटवार हल्का 9 जैड भू अ.नि. हल्का रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 28/56 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075) का मुख्या नम्बर 33, 35 व 50 की कुल 3.009 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का वादी सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री चडत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे।
- (2) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि वादी एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:-

1. यह कि वादी सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री चडत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को वाके चक 7 जैड के खाता संख्या 28/56 के मुख्या नम्बर 33, 35 व 50 की कुल 3.009 है० नहरी मय खाला भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी राजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है ताकि सनद रहें।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील समयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत्-2072-2075 ग्राम 7 जैड, पटवार क्षेत्र 9 जैड, भू. अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 28/56 की प्रति पेश की गई। वकील वादी एवम् वकील

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/- रुपये 50/- रुपये (दो स्टाम्प) इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, पत्रावली में संपूर्ण वारिसान के पक्षकार है, पक्षकारान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है एवम् भूमि पर किसी प्रकार का बकाया नहीं है एवं बकाया होने की स्थिति में बकाया भर दिया जावेगा।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बन्ध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ,एससीद्व पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।


--: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 7 जैड के खाता संख्या 28/56 के मुख्या नम्बर 33, 35 व 50 की कुल 3.009 है० नहरी मय खाला भूमि का वादी सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री चडत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.05.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर